आ.क्र. 2222/264 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

चौकसी : सुनीता v/s [illegible]
प्र.क्र. 16/37/2022
आदेश दि० 3/11/2022

18/6/23 — गोपाल पुत्र [illegible] की डिक्री [illegible] होने बाद [illegible] की [illegible] कुर्की [illegible] 10 [illegible] के [illegible] पहाड़ [illegible] है। [illegible] के [illegible] 27/6/23 की [illegible] है।

27.6.23 — आज नीलामी [illegible] कुर्की [illegible] नीलामी का अवलोकन किया गया। नीलामी में विचाराधीन प्रकरण 14(4) से सम्बन्धित प्रकरण बड़ा होने से प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ प्र.क्र. 16/92/2023 निर्णय दिनांक 20/3/2023 न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ को द्वारा जारी आदेश आदेश क्रमांक 1325 दिनांक 2/3/2023 को निरस्त कर दिया गया है। इस लिए उक्त विचाराधीन प्रकरण 14(4) में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने कारण प्रकरण 14(4) की कार्यवाही बन्द कि जाती है। नीलामी फैसला सुनाया है। आदेश उपरान्त है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय
अलवर (राज.)